



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13136

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1493/2026

आवेदक: अंकित

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

अखिलेश कुमार

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

2. आवेदक के वकील श्री अखिलेश कुमार, सूचनाकर्ता के वकील श्री अभिषेक सिंह तथा राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 97/2025, धारा 137(2), 103(1), 238 बीएनएस और 5m/6 POCSO अधिनियम, पुलिस थाना - देओबंद, जिला - सहारनपुर, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष है और उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। उसे उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम FIR में नहीं है और केवल एक CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया गया है जिसमें आवेदक शव प्राप्ति स्थल की ओर आता दिखाई दे रहा है।
5. वकील ने आगे कहा कि उक्त साक्ष्य ही पर्याप्त नहीं हैं। आवेदक केवल अपनी पुलिस में दी गई स्वीकृति के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जिसका कानूनी दृष्टि से कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। अतः आवेदक जमानत का हकदार है।
6. यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 27.2.2025 से जेल में बंद है और सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. प्रतिपक्ष के वकील और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए कड़ा विरोध किया।
8. "अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाएगा" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत की अवधारणा को जन्म देता है और जेल को अपवाद बनाता है।
9. व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान की धारा 21 द्वारा संरक्षित है, केवल इसलिए छीना नहीं जा सकता कि वह अपराध का आरोपी है, जब तक कि दोष सुस्पष्ट रूप से साबित न हो। धारा 21 कहती है कि किसी की जान या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो, और यह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं उचित हो। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया है।

10. इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Manish Sisodia बनाम निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 में यह स्पष्ट किया कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। न्यायालयों को यह सिद्धांत मान्यता देने का समय आ गया है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।"
11. राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता/कानूनी अधिकारी ने कोई असाधारण परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं कीं जो जमानत अस्वीकृत करने का कारण बनें।
12. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख पर साक्ष्य और FIR में आवेदक का नाम न होने तथा केवल पुलिस में दी गई स्वीकृति पर मामला चलने के आधार पर, मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत का योग्य आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकृत है।
13. आवेदक - अंकित, जो उक्त मामले में संलग्न हैं, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह एक व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। रिहाई आदेश से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।
- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।

iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।